नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर-201301

noida

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORI
Main Administrative Building
Sector - VI, Noida
Distt. Gautam Budh Nagar - 201301

ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के आबंटियों को प्रस्तावित फ्लैट क्रय कर्ता के पक्ष में उप पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु प्रचालित नियम व शर्तो में शिथिलता सम्बन्धी ।

वर्तमान तक उपरोक्त विषय में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के आबंटियों को उप पट्टा प्रलेख की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निम्न व्यवस्था थी ।

"अतः प्राधिकरण के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने हेतु यह उचित होगा कि:-

1. सभी आवंटियों को एक मुश्त भू-भाटक उप-पट्टा प्रलेख की अनुमति से पूर्व जमा करने को कहा जाये।
2. उप-पट्टा प्रलेख निष्पादन की अनुमति प्रदान करने के समय लेखा विभाग का अध्यतन अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाये।
3. उप-पट्टा प्रलेख निष्पादन की अनुमति उनते ही फ्लैट की अनुमन्य कराई जाए जितने प्रतिशत भूखण्ड की प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया जा चुका हो तथा अवशेष भू-प्रीमियम का अध्यतन भुगतान किया जा चुका हो"।

फ्लैट क्रयकर्ताओं की सुविधा हेतु प्राधिकरण द्वारा उक्त नियम में निम्नानुसार शिथिलीकरण कर दिया गया है-

"उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 एवं 2 को यथावत रखते हुए बिन्दु संख्या-3 में इस आशय का संशोधन कर दिया गया है कि ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के आबंटियों द्वारा कुल जमा प्रीमियम में से 10% प्रीमियम को रोकते हुए अवशेष भू-प्रीमियम के समतुल्य फ्लैटों का उप पट्टा प्रलेख अनुमन्य कराया जायेगा । अर्थात यदि किसी ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड की कुल भू-प्रीमियम 100 करोड़ रूपये है एवं आबंटी द्वारा 60 करोड़ रूपये (60%) भू-प्रीमियम की मद में जमा कराये गये हैं तो कुल परियोजना में कुल स्वीकृत फ्लैटों में से 50% फ्लैटों के उप पट्टा प्रलेख निष्पादन की स्वीकृति अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने पर प्रदान की जायेगी ।"